

1816116

से बैठा है

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार-2016

सिंह

पत्रावली भाज "न्याय आपके द्वार-2016  
लोक अदालत केन्द्र खेड़ाकहा पर फेरा  
दुई। वादी उपस्थित हैं। वादी को बुना  
गया। वादी द्वारा वादपत्र के अनुलोप  
को दोहराया।

पत्रावली का ह्यानपूर्वक अव-  
लोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र  
के लक्ष्य, वांछित अनुलोप, प्रतिवादी-  
गण के जवाब तथा वादी द्वारा वाद  
के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों का  
मूली भांगि अध्ययन किया गया।  
प्रतिवादीगण द्वारा दावा वादी का



व्य  
राजस्व अदालत  
खेड़ा

- अमदा -

राजस्थान लोक अदालत अभियान  
 चयन कार्यक्रम 6/11-2018

इकबालिया अलाव पेश किया  
 जिसमें उन्हें वादी का नाम डुकली  
 पर आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया  
 है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की  
 दायता प्रतियों से भी उसका नाम  
 हीरांकर होना प्रकट होता है।

चूंकि प्रस्तुत प्रकार से वाद  
 वादी के अक्षुण्ण पर प्रतिवादीका  
 द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं कर  
 दावा स्वीकार करने का कथन  
 किया है, और वादी का नाम -  
 हीरांकर होना प्रकट होता है।

लिहाजा वादी के नाम -  
 डुकली तक दावा वादी स्वीकार  
 किया जाना उचित तरीका होता  
 है अतः दावा वादी आंशिक  
 रूप से स्वीकार किया जाकर  
 यह आदेश निर्णय जारी है, कि



ग्राम अलाई तहसील रामगंज  
 मण्डी की 2 मि आराजी नंबर

94 / 470 / 721 / 782 कुल किला  
 0.10, 0.28, 1.50, 1.06

Handwritten signature and additional official markings at the bottom left.

राजस्व लोक अदालत अभियान  
व्याय आपके द्वार-2016

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

प(चार) कुल कब २७५ हेक्टर पर वादी  
का नाम शंकरलाल के स्वाम पर हीशिकर  
अंकित किया जावे। राजस्व रिकार्ड में  
अमल दामद ही वदनुलान डिही  
पन्चा भुक्ति ही।

पचावली वाद तामील तामील व  
तामीम निर्णित में गठाना की जाकर  
प्रविष्ट लेख भंडार ही।

निर्णय भाष्य रिकार्ड 18/6/2016  
का लोक अदालत के मय रेकॉर्ड की  
पर सुनाया गया।

(सीएल मीना)  
R.A.S.

